

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F-59. DLB/STP/Review of M.P. (55)/17/615

दिनांक :- 07.03.2022

आदेश

वर्तमान में तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान/जोनल प्लान में भी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोटारी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश एवं मौका स्थिति के दृष्टिगत स्पेशल एरिया दर्शाये गये हैं, जिसमें अनुज्ञेय गतिविधियों का निर्धारण राज्य सरकार के अध्याधीन है। अतः परिषद्/पालिका द्वारा मास्टर प्लान में दर्शित विशेष क्षेत्र एवं उसके आस-पास चल रही गतिविधियों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर टिप्पणी मय भू-उपयोग निर्धारित बाबत अनुशंषा राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पद
1.	अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4.	क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक संबंधित जोन	सदस्य
5.	उप नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा की गयी अनुशंषा अनुमोदन हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के माध्यम से शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं माननीय मंत्री महोदय को प्रेषित की जावेगी।

(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 07.03.2022

क्रमांक : F-59. DLB/STP/Review of M.P. (55)/17/615-639

प्रतिलिपित निम्न को सूचनाथ :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
9. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
10. उप नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्/नगर पालिका समस्त (.....)।
12. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

(राजेश कुमार तुलारा)  
अति. मुख्य नगर नियोजक